कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– /11–सी–**FP/UP/Road/22408/2016**, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 12,2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद–फतेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याा–232 के किमी0 211.837 से किमी0 222.868 के मध्य प्रस्तावित बाईपास के निर्माण में प्रभावित 0.7954 हे0 अवगीकृत वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 10 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–पी–62 / 14–2–2017–800(62) / 2017, दिनांक 23.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयॉकित प्रकरण में विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, फतेहपुर ने अपने पत्रांक–124 / 27–4, दिनांक–10.07.2017 द्वारा निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को प्रेषित किया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि आनलाईन ई–पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति मयमूल संलग्नकों सहित, अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयॉकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र करें।
प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्र० फतेहपुर

भवदीय

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 80 /11–सी–**FP/UP/Road/22408/2016,** दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, इलाहाबाद।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, फतेहपुर।
3. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, रायबरेली।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY- 1232

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर।

पत्रांक 124 / 27-4 दिनांक, फतेहपुर जुलाई 10 2017।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय :- जनपद फतेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 232 किमी0 211.837 से किमी0 222.868 के मध्य प्रस्तावित बाईपास के निर्माण में प्रभावित 0.7954 हे0 अवर्गीकृत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10 वृक्षों के पातन हेतु प्राप्त सैद्धांतिक अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-62/14-2-2017-800 (62)/2017 दिनांक 23.06.2017।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयगत प्रकरण में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग -2 द्वारा निर्गत सैद्धानितंक स्वीकृति में लगाई गयी शर्तो की अनुपालन आख्या निम्ननुसार प्रेषित हैं -

क्र0 सं0	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-62/14-2-2017-800 (62)/2017 दिनांक 23.06.2017 द्वारा लगाई शर्त	अनुपालन आख्या
1	मा0 सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) हेतु **रू0 4,97,920.00** की धनराशि Corporation bank, Bangalore के खाता सं0 15090113224082016774 में दिनांक 03.07. 2017 को कैनरा बैंक रायबरेली द्वारा NEFT (no. P17070315809524) के माध्यम से कैम्पा में जमा किया जा चुका है। (चालान की छाया प्रति संलग्न)
2	के अनुसार प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव किया जायेगा।	वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु **रू0 389500.00** की धनराशि Corporation bank, Bangalore के खाता सं0 15090113224082016774 में दिनांक 03.07.2017 को कैनरा बैंक रायबरेली द्वारा NEFT (no. P17070315809524) के माध्यम से कैम्पा में जमा किया जा चुका है। **(चालान की छाया प्रति संलग्न)**
3	प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथेचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।**
4	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।	उपरोक्तानुसार शर्त सं0 1 व 2 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु धनराशि कैंपा फण्ड में जमा करायी जा चुकी है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।	मक डिस्पोजल योजना हेतु मैनेजमेंट प्लान पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है। **(छायाप्रति संलग्न)**
6	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या-6 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
7	नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	शर्त संख्या-7 का अनुपालन इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
8	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) की हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फॉना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	शर्त संख्या-8 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
9	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जाएगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जाएगा। यदि भूमि	शर्त संख्या-9 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**

	के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	
10	प्रस्तावक विभाग के संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे संबंधित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	शर्त संख्या-10 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
11	उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथा स्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जाएगी।	शर्त संख्या-11 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
12	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी (पीटी), दि0 19.08.2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दि0 02.दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाईफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	शर्त संख्या-12 के अनुपालन के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन संख्या F No. 10-60/2011-IA-III dated 21.03.2013 पूर्व ही निर्गत किया जा चुका है।
13	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या-13 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
14	राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होगी।	शर्त संख्या-14 के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
15	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन.पी.वी. संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।	शर्त संख्या-15 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
16	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्च्युरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गई है।	शर्त संख्या-16 के अनुपालन के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत भूमि, सेन्चूरी/ नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है।
17	समस्त वैधानिक/ प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।	शर्त संख्या-17 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/ मा0 न्यायालयों द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जाएगा।	शर्त संख्या-18 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
19	इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दि0 13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।	शर्त संख्या-19 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
20	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक- 11-9/98एफसी, दि0 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भूसंदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाईल में दर्शाया गया है।	शर्त संख्या-20 के अनुपालन के संबंध में अवगत कराना है कि वांछित डिजीटल डाटा / मानचित्र पूर्व ही वन प्रस्ताव के साथ जमा कराये जा चुके हैं।
21	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	शर्त संख्या-21 के अनुपालन के संबंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र पूर्व ही उपलब्ध कराया जा चुका है। **(छायाप्रति संलग्न)**
22	प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रकिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फैलिंग, लागिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन	शर्त संख्या-22 के अनुपालन हेतु उ0प्र0 वन निगम द्वारा प्रस्तुत मांग के अनुसार वांछित धनराशि जमा करायी जायेगी।

	चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11.12.2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।	
23	भारत सरकार के परिपत्र संख्या-11-98-एफसी, दिनांक 13.02.2014 के शर्त संख्या-(xiii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढ़ीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।	शर्त संख्या-23 के अनुपालन हेतु निर्गत निर्देशानुसार अनुपालन किया जायेगा।
24	उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।	शर्त संख्या -24 के संबंध में उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फतेहपुर

संख्या 124 समदिनांक।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रायबरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फतेहपुर

2 प्रतियां प्राप्त किया।
PIU, Raebareilly
NHAI

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई / Project Implementation Unit

784, विष्णु नगर, सत्यम् हास्पिटल के सामने, रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

784, Vishnu Nagar, Opposite Satyam Hospital, Raebareilly - 229001 (U.P.)

दूरभाष / Phone : +91-535-2702526
टेलीफैक्स / Fax : +91-535-2702527
ईमेल / E-mail : pdpiuraebareilly@nhai.org
pdpiuraebareilly@gmail.com

13008/1/पकाई–राय0/रा0रा0–232/2014/फोरेस्ट/ 11415 दिनांकः 04.07.2017

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र करें।

प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्र० फतेहपुर

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
फतेहपुर।

विषय– जनपद फतेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 232 किमी0 211.837 से किमी0 222.868 के मध्य प्रस्तावित बाईपास के निर्माण में प्रभावित 0.7954 हे0 अवर्गीकृत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10 वृक्षों के पातन हेतु प्राप्त सैद्धांतिक अनुमति के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भः 1) विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी–62/14–2–2017–800 (62)/2017 23.06.2017
2) आपका पत्रांक 3836/27–4 दिनांक 23.06.2017

जिलाधिकारी
फतेहपुर

महोदय,

कृपया विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 23.06.2017 **(छायाप्रति संलग्न)** का संज्ञान लेने का कष्ट करें जिसके माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के एफ0एन0 संख्या 11–9/98/एफसी, दिनांक 21.08.2014 एवं पत्र दिनांक 13.02.2014 के दृष्टिगत जनपद फतेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के किमी0 211.837 से किमी0 222.868 के मध्य प्रस्तावित बाइपास के निर्माण में प्रभावित 0.7954 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

उक्त के क्रम में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.06.2017 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से शासन द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त सं0 1 के अनुसार प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) रू0 497920.00 तथा शर्त सं0 2 के अनुसार प्रभावित वन भूमि के दुगुने क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 389500.00 की धनराशि ई–चालान के माध्यम से कैम्पा में जमा कराये जाने तथा शर्त सं0 3 के अनुपालन हेतु वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में शासन द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति एवं आपके उपरोक्त पत्र द्वारा प्रस्तुत मांग के अनुसार बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् हैः–

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगाई गयी शर्तें	प्रभागीय निदेशक, फतेहपुर की मांग (रु0 में)	भाराराप्रा द्वारा किया गया अनुपालन
शर्त संख्या 1: मा0 सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक	प्रभावित वन भूमि 0.7954 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) रू0 4,97,920.00 ई–चालान के माध्यम से कैम्पा में जमा किया जाय।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) हेतु रू0 4,97,920.00 की धनराशि Corporation bank, Bangalore के खाता सं0 150901132240820116774 में दिनांक 03.07.2017 को कैनरा बैंक रायबरेली द्वारा NEFT (no.

मुख्यालय : प्लाट सं. जी – 5 एवं 6, सेक्टर – 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110 075 दूरभाष : +91–11–25074100/200

Head Office : Plot No. G-5 &6, Sector-10 Dwarka, New Delhi - 110 075 Phone : +91-11-25074100/200

वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।		P17070315809524) के माध्यम से कैम्पा में जमा किया जा चुका है। (चालान की छाया प्रति संलग्न)
शर्त संख्या 2 के अनुसार प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, फतेहपुर द्वारा प्रभावित 0.7954 हे0 संरक्षित वन भूमि का दुगुना 1.5908 हे0 हेतु अवनत/आरक्षित वन भूमि वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 389500.00 ई-चालन के माध्यम से कैम्पा में जमा किया जाए।	वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु **रू0 389500.00** की धनराशि Corporation bank, Bangalore के खाता सं0 15090113224082016774 में दिनांक 03.07.2017 को कैनरा बैंक रायबरेली द्वारा NEFT (no. P17070315809524) के माध्यम से कैम्पा में जमा किया जा चुका है। **(चालान की छाया प्रति संलग्न)**
शर्त संख्या 3 प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथेचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव किया जायगा।	उक्त शर्त के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।**
शर्त संख्या-4: उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।		उपरोक्तानुसार शर्त सं0 1 व 2 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु धनराशि कैंपा फण्ड में जमा करायी जा चुकी है।
शर्त संख्या-5: प्रयोक्ता अभिकरण द्वार मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।		मक डिस्पोजल योजना हेतु मैनेजमेंट प्लान प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग फतेहपुर को पूर्व ही उपलब्ध कराया जा चुका है। **(छायाप्रति संलग्न)**
शर्त संख्या-6: वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।		शर्त संख्या-6 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
शर्त संख्या-8: प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) की हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फॉना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।		शर्त संख्या-8 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**

शर्त संख्या-9: प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जाएगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जाएगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।		शर्त संख्या-9 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
शर्त संख्या-10: प्रस्तावक विभाग के संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे संबंधित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।		शर्त संख्या-10 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
शर्त संख्या-11: उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथा स्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जाएगी।		शर्त संख्या-11 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
शर्त संख्या-12: भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी (पीटी), दि0 19.08.2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दि0 02.दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाईफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।		शर्त संख्या-12 के अनुपालन के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन संख्या F No. 10-60/2011-IA-III dated 21.03.2013 पूर्व ही निर्गत किया जा चुका है।

शर्त संख्या-13: उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।		शर्त संख्या-13 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
शर्त संख्या-15: प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन.पी.वी. संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।		शर्त संख्या-15 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
शर्त संख्या-16: यदि प्रश्नगत भूमि सेन्च्युरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गई है।		शर्त संख्या-16 के अनुपालन के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत भूमि, सेन्चूरी/ नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है।
शर्त संख्या-17: समस्त वैधानिक/ प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।		शर्त संख्या-17 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
शर्त संख्या-18: उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/ मा0 न्यायालयों द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जाएगा।		शर्त संख्या-18 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
शर्त संख्या-19: इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दि0 13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।		शर्त संख्या-19 के अनुपालन हेतु **वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।**
शर्त संख्या-20: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98एफसी, दि0 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भूसंदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाईल में दर्शाया गया है।		शर्त संख्या-20 के अनुपालन के संबंध में अवगत कराना है कि वांछित डिजीटल डाटा / मानचित्र पूर्व ही वन प्रस्ताव के साथ जमा कराये जा चुके हैं।
शर्त संख्या-21: प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय		शर्त संख्या-21 के अनुपालन के संबंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र पूर्व ही उपलब्ध कराया जा चुका है। **(छायाप्रति संलग्न)**

के हित प्रभावित नहीं होते हैं।		
शर्त संख्या-22ः प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रकिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फैलिंग, लागिंग एवं ट्रन्सपोट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11.12.2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।		शर्त संख्या-22 के अनुपालन हेतु उ0प्र0 वन निगम द्वारा प्रस्तुत मांग के अनुसार वांछित धनराशि जमा करायी जायेगी।
शर्त संख्या-23ः भारत सरकार के परिपत्र संख्या-11-98-एफसी, दिनांक 13.02. 2014 के शर्त संख्या-(xiii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढ़ीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।		शर्त संख्या-23 के अनुपालन हेतु निर्गत निर्देशानुसार अनुपालन किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त परियोजना हेतु शासन से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(सी0एम0 द्विवेदी)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपिः-

- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2, बापू भवन लखनऊ को सूचनार्थ।
- जिलाधिकारी, फतेहपुर को सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा, उ0प्र0 (पूर्वी), लखनऊ को सूचनार्थ।

Proforma for submission of details pertaining to transfer of funds received from user agency in Ad-hoc CAMPA

1	Name of Regional Office	:	Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climare Change
2	State/District/ Forest Division to which proposal relates.	:	UP/ Fatehpur/ Social Forestry Division Fatehpur
3	Name of user agency.	:	**National Highways Authority of India**
4	Extent of forest area involved	:	0.7954 ha.
5	Whether original or extension.	:	Original
6	If extension of lease, pl. clarify if proposal involved additional forest area. and if so, specify.	:	Not applicable.
7	Date of 1st Stage clearance	:	23.06.2017
8	Extension of CAMPA A charges, headwise viz.	:	
(i)	Compensatory afforestation	:	389500.00
(ii)	Additional CA	:	0.00
(iii)	Penal CA	:	0.00
(iv)	Catchment area treatment	:	0.00
(v)	Additional charges for diversion of atea filling under notified/ protected area	:	0.00
(vi)	Net Present Value (NPV)	:	497920.00
(vii)	Any other charges	:	
(a)	Medicinal plantation in width under ROW	:	0.00
	Total	:	**887420.00**
9	details of bank draft (bank draft No, date and amount) headwise against items indicated in (8) above	:	(see table below)
10	Whether deposited by RTGS, if so the particular and date of remittance	:	No
11	Bank (Corporation Bank, Lodhi Complex) in which deposited, with date of deposition	:	
12	Any other remark	:	No

Item 9 details:

Sl.	Head	Amount	D.D. No.	Date
1	Compensatory afforestation	389500.00	113224082016774	3/7/2017
2	Net Present Value (NPV)	497920.00	113224082016774	3/7/2017
3	Medicinal plantation	0.00		

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फतेहपुर

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 03-07-2017

Agency Name.	NHAI PIU RAEBARELLY
Application No.	113224082016774
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Project Implementation Unit, 784, Vishnu Nagar,Raebareli
Amount(In Rs)	887420/-

Amount In Words :Eight Lakh Eighty-Seven Thousand Four Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15090113224082016774
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 03-07-2017

Agency Name.	NHAI PIU RAEBARELLY
Application No.	113224082016774
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Project Implementation Unit, 784, Vishnu Nagar, Raebareli
Amount(In Rs)	887420/-

Amount In Words :Eight Lakh Eighty-Seven Thousand Four Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15090113224082016774
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

P17070315809524

NEFT No -
P17070315809524

Date - 03/07/2017

बैंक Canara Bank

RAJBAREILY Branch
RAI BARELI UTTAR PRADESH 229001
IFSC : CNRB0002825

2017/PCSGV

MULTI-CITY CA

Valid for three months only from the date of instrument

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
3	0	0	6	2	0	1	7

Pay Your Self for RTGS या धारक को Or Bearer

Rupees रुपये Eight lac. Eighty Seven Thousand four hundred Twenty only

अदा करें ₹ 8,87,420/-

A/c. No. 2825201005348

For NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
For National Highways Authority of India

(प्रबन्धक वित्त एवं लेखा)
(Manager Fin & Accts.)

(परियोजना निदेशक)
(Project Director)
Authorised Signatory
Please sign above

Payable at par at all our branches in India

29

⑈248465⑈ 229015002⑆

Seshasai (D) / CTR 2010 13 04 17

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई / Project Implementation Unit
784, विष्णु नगर, सत्यम् हास्पिटल के सामने, रायबरेली–229001 (उ0प्र0)
784, Vishnu Nagar, Opposite Satyam Hospital, Raebareilly - 229001 (U.P.)

दूरभाष / Phone : +91-535-2702526
टेलीफैक्स / Fax : +91-535-2702527
ईमेल / E-mail : pdpiuraebareilly@nhai.org
pdpiuraebareilly@gmail.com

वचनबद्धता

विषय– जनपद फतेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 232 किमी0 211.837 से किमी0 222.868 के मध्य प्रस्तावित बाईपास के निर्माण में प्रभावित 0.7954 हे0 अवर्गीकृत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10 वृक्षों के पातन हेतु प्राप्त सैद्धांतिक अनुमति के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी–62/14-2-2017-800 (62)/2017 23.06.2017

शर्त संख्या 3 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भाराराप्रा के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथेचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

शर्त संख्या–6: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

शर्त संख्या–8: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) की हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फॉना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

शर्त संख्या–9: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जाएगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जाएगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

शर्त संख्या–10: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग के संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे संबंधित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

शर्त संख्या–11: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथा स्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जाएगी।

शर्त संख्या–13: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

शर्त संख्या–15: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि यदि इस अवधि की एन.पी.वी. संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

शर्त संख्या–17: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/ प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

शर्त संख्या–18: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/ मा0 न्यायालयों द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जाएगा।

शर्त संख्या–19: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दि0 13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(सी0एम0 द्विवेदी)
परियोजना निदेशक
दिनांक 04.07.2017

Government of Uttar Pradesh
Officer of District Collector
Fatehpur (UP)

No. 22/ST ADM/2017-2018 Date 06 APRIL 2017

To whomsoever it may concern

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India bearing letter no. 11-09/98-FC (pt) dated 28th October, 2014, it is certified that 0.7954 hectares of unclassed forest land proposed to be diverted in favour of National Highway Authority of India (NHAI), PIU, Raebareilly (UP) for Rehabilitation and Upgradation of Two Lane with Paved Shoulder of NH-232 (Raebareilly to Banda Section) Fatehpur Bypass from Chainage 222+000 to 223+400 at Dharupur village.

It is further certified that the forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as 'forest' wide notification no. 617/XIV dated 11.10.1952. Which is less than 75 years prior to the 13th day of December, 2005 and is located in villages having no recorded population of Schedule Tribes, as per Census-2001 and Census-2011.

6/4/17

District Magistrate
Fatehpur
जिलाधिकारी
फतेहपुर

Muck Disposal/Management Plan

The Existing bituminous layer will be milled by machineries and collected at plant site as per latest technology of recycling of the milled material, which is regenerated by adding admixture and emulsion. Thus the obtained mix will be reused in the construction of highway. This practice is permissible under the specification for Highways published by Ministry of Road Transportation and Highway (MoSRT&H).

Hence, the project National Highway – 232 (Raebareli-Banda Section), Fatehpur Byepass from Km. Chainage 211+837 to 222+868 in District Fatehpur, itself will not produce any muck to be disposed. It is further stated that muck produced is very valuable material and is mixture of grit and bitumen which is not advisable to through if off.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
फतेहपुर (उ०प्र०)
फोन नं०-05180-224493

(C.M. Dwivedi)
Project Director
NHAI_PIU_Raebareli

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवाहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई
रायबरेली